

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

(शासकीय स्वशासी संस्था)

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

कार्यालय दूरभाष नं.- 07662-241655

ई-मेल- ssmc-rewa@mp.gov.in

फैक्स नं.- 07662-251167

वेबसाइट- www.ssmcrewa.com

क्रमांक 13576/स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा दिनांक 28.06.2021

सूचना

कार्यालयीन सूचना क्र. 13576/स्था/अराज/एम.सी./2021, रीवा दिनांक 28.06.2021 द्वारा जारी प्रावधिक चयन सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के परीक्षण हेतु निम्नानुसार समय सारणी जारी की जाती है :-

स.क्र.	विवरण	उपस्थित होने की तिथि
4.	अ.पि.व प्रावधिक चयन सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी	05 एवं 06 जुलाई 2021
5.	अ.ज.जा प्रावधिक चयन सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी	07 एवं 08 जुलाई 2021
6.	अ.जा प्रावधिक चयन सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी	09 जुलाई 2021

समस्त अभ्यर्थी निम्नलिखित यथा लागू मूल अभिलेखों के साथ उपरोक्त तिथियों में प्रातः 11:00 बजे से महाविद्यालय के सभाकक्ष में स्कूटनी समिति के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें :-

1. एम.पी. ऑनलाइन में आवेदन की प्रति।
2. ऑनलाईन परीक्षा का प्रवेश पत्र।
3. स्कोर कार्ड की प्रति।
4. 10 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची।
5. 12 वीं बोर्ड परीक्षा (पी.सी.बी.) की अंकसूची।
6. बी.एस.सी. नर्सिंग/जी.एन.एम. परीक्षा के सभी वर्षों के अंकसूचियां।
7. म.प्र. नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन।
8. स्थानीय/मूल-निवासी प्रमाण पत्र।
9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
10. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र।
11. जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र, जोकि 6 माह से पुराना न हो।
12. म.प्र. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन।
13. भूतपूर्व सैनिक संबंधी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
14. परिचय पत्र-आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड।
15. शासकीय/अद्वशासकीय सेवा में कार्यरत न रहने की स्थिति में रु 50/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराईज्ड घोषणा पत्र।
16. दिनांक 26.01.2001 के बाद 2 से अधिक संतान न होने का रु 50/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराईज्ड घोषणा पत्र।
17. विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा की स्थिति में रु 50/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराईज्ड घोषणा पत्र।
18. पांच पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ जो कि प्रवेश पत्र में लगाया गया हो।

उपरोक्त तिथियों में अनुपस्थित होने अथवा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अभिलेखों की दशा में अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जावेगा, जिसके लिये संबंधित स्वयं जिम्मेदार होंगे।



(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)